न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 समित शर्मा, आई.ए.एस

राजस्व द्वितीय अपील संख्या 400/2020

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
नूर मोहम्मद पुत्र जमाल खाँ मुसलमान निवासी हसन का गांव, (जमाल की ढाणी) तहसील व जिला जैसलमेर।		1. राज्य जरिये तहसीलदार, जैसलमेर

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 29.01.2020 जो अति0 जिला कलेक्टर, जैसलमेर प्रथम राजस्व अपील संख्या 05/2019 अनवान नूरमोहम्मद बनाम राज्य में पारित किया।

उपस्थितिः—

1. श्री सुमेर सिंह राठौड, अधिवक्ता अपीलान्टस की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक 24 अगस्त, 2020

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत यह द्वितीय राजस्व अपील अति. जिला कलेक्टर, जैसलमेर के द्वारा प्रथम राजस्व अपील संख्या 05/2019 अनवान नूरमोहम्मद बनाम राज्य में पारित निर्णय दिनांक 29.01.2020 से व्यथित होकर प्रस्तुत की है।

2. प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अपीलान्ट के अधिवक्ता के द्वारा की गई बहस को सुना गया।

3. दौरान सुनवाई उपस्थित अपीलान्ट अभिभाषक के द्वारा अपील मिमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह कथन किया कि तहसीलदार फतेहगढ के समक्ष पटवारी हल्का मौजा हसन का गांव द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि अपीलान्ट ने सम्वत 2075 में खसरा संख्या 262/416, खसरा संख्या 261, 292, 293 में अतिक्रमण किया गया है। तब तहसीलदार न्यायालय की ओर से धारा 91 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत अपीलान्ट को नोटिस जारी कर प्रत्युतर मांगा जिस पर अपीलान्ट

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

की ओरसे जवाब प्रस्तुत कर यह कथन किया कि उक्त खसरों की भूमि उनकी सेटलमेन्ट कार्यवाही से पूर्व मौके पर रहवासी ढाणी व टांके आदि मौजूद है जो सेटलमेन्ट में ढाणी व टांके दर्ज न होने पर एवं उक्त भूमि फाईनल सेटलमेन्ट में दर्ज नहीं होने पर अपीलान्ट की ओर से उक्त भूमि के सम्बन्ध में एक दावा उपखण्ड अधिकारी जैसलमेर में प्रस्तुत किया हुआ है तथा इस सम्बन्ध में अपीलान्ट को पूर्ण अवसर दिया जावे ताकि वह कानूनी दस्तावेज पेश कर सके, परन्तु अपीलान्ट के उक्त कथनों को अनदेखा करते हुए तहसीलदार जैसलमेर न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध दिनांक 22.2.2019 को अपीलान्ट को जानकारी दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश जारी कर दिया।

4. तहसीलदार जैसलमेर के उक्त एकपक्षीय निर्णय के विरूद्ध अपीलान्ट की ओर से अधिनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर जैसलमेर के समक्ष प्रथम अपील पेश की तथा उनके समक्ष भी यही दलीले प्रस्तुत की गई परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भी कानूनी दृष्टान्त इत्यादि को अनदेखा करते हुए अपीलान्ट की अपील को दिनांक 29.01.2020 को खारिज कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट यह द्वितीय अपील पेश कर रहा है।

5. अपीलान्ट के अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालयों के समक्ष स्पष्ट रूप से कहा था कि इसी भूमि का दावा उपखण्ड अधिकारी जैसलमेर में चल रहा है तथा उसमें स्वयं तहसीलदार पक्षकार थे एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में एक याचिका दायर की हुई है जो लम्बित है। ऐसे में अधिनस्थ न्यायालयों को चाहिये था कि मामला पक्षकारों के बीच उच्च न्यायालयों में विचाराधीन हो तो माननीय न्यायालयों की गरीमा को ध्यान में रखकर विचाराधीन कार्यवाही को स्थगित कर देनी चाहिये। तथा दोनों प्रभावित पक्षकारों को सुना जाकर अपना निर्णय पारित कियया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में विभिन्न न्यायालयों द्वारा अपने निर्णयों में सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये है यथा आरआरडी–1977, पेज–591, आरआरटी–2002 (1) राज0 हाईकोट पेज–74, आरआरडी, 1996 राज0 हाईकोर्ट पेज–538

न्यायालय डिविजनल कमिश्नर सत्यमेव जयते जोधपुर

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

6. अपीलान्ट के अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि अपीलान्ट का उक्त भूमि पर कब्जा/काश्त है तथा कदीमी झोपडी, टांका बनी हुई है जो फाईनल सेटलमेन्ट से पूर्व का है एवं जिसमें अपीलान्ट व उसका परिवार निवास करता रहा है। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रस्तुत निर्णय नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों पर कोई गौर नहीं किया और न ही अपने निर्णय में इनका जिक्र किया और न ही तहसीलदार जैसलमेर के निर्णय पर मनन किया कि वह निर्णय एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। इस प्रकार दोनों अधिनस्थ न्यायालयों के द्वारा जो आदेश प्रसारित किये गये है वह एकपक्षीय रूप से तथा कानूनी दृष्टान्तों की अनदेखी करते हुए पारित किये गये है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

7. हमने अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन आदेश एवं अन्य दस्तावेजों की फोटोप्रतियों का अवलोकन किया गया। जिससे यह पाया जाता है कि तहसीलदार जैसलमेर न्यायालय के द्वारा राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत अपीलान्ट/विप्रार्थी के द्वारा खसरा संख्या 262/416 रकबा 12.00 बीघा खसरा संख्या 261 में रकबा 1.00 बीघा, खसरा संख्या 292 में रकबा 40.00 बीघा, खसरा संख्या 293 में 1.10 बीघा कुल 55 बीघा राजकीय भूमि किस्म गैर मुमकीन मगरा ग्राम हसन का गांव में अवैध रूप से अतिक्रमण किया जाने पर उसके विरूद्ध बेदखली का आदेश जारी किया गया हैं। प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय में अपीलान्ट के द्वारा पैतृक खातेदारी खेत के पास लगती सिवाय चक भूमि पर ताराबंदी कर अनाधिकृत कब्जा किया हुआ बताया तथा प्रश्नगत भूमि पर अपीलान्ट का प्रतिवेदित अतिक्रमण से पूर्व कोई कब्जा नहीं रहा होना बताया

8. अपीलान्ट ने अपनी अपील में मुख्य रूप से यह कथन किया है कि उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया और उसकी ओर से प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों/निर्णय नजीरों का अपीलाधीन आदेशों में विवेचन नहीं किया। इस तथ्य पर अधिनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन करने से स्पष्ट हो रहा है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों तथा निर्णय नजीरों पर अपनी विवेचना की है। अपीलान्ट ने उक्त वादग्रस्त भूमि पर सेटलमेन्ट से पूर्व कब्जा/काश्त होने तथा फाईनल सेटलमेन्ट में उक्त भूमि दर्ज नहीं होने का कथन

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

किया है, इस सम्बन्ध में अपीलान्ट की ओर से न तो अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष और न ही न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसे कोई दस्तावेज प्रस्तुत कर पाये जिससे यह प्रकट होता हो कि अपीलान्ट के द्वारा दर्शाई गई भूमि पर सेटलमेन्ट से पूर्व ढाणी व टांके बने हुए थे और फाईनल सेटलमेन्ट में यह दर्ज होने से यह गये। इसके अतिरिक्त अपील के संलग्न जो दस्तावेज पेश किये गये है वह अपीलान्ट के किये गये हुए अतिक्रमण बाबत खसरा परिवर्तित निर्धारण व गैर मुस्तकील काश्त सम्बन्धी दस्तावेज पेश किये है।

9. अपीलान्ट द्वारा यह भी कहा जाना कि उसके द्वारा उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में वाद अन्तर्गत धारा 88,89,209 राज0 काश्तकारी अधिनियम का पेश किया हुआ है तो इससे भी अपीलान्ट का राजकीय भूमि पर किये गये अतिक्रमण को अपीलान्ट की स्वयं की भूमि होना या विचाराधीन कार्यवाही को उसके पक्ष में जायज नहीं ठहराया जा सकता और न ही उसे खातेदार काश्तकार के रूप से स्वीकार किया जा सकता है। धारा 91 आरएलआर की कार्यवाही के समय अपीलान्ट को वादग्रस्त भूमि पर अवैध काश्त करते हुए पाया जाने पर ही अतिक्रमी घोषित करते हुए बेदखली की कार्यवाही सम्पादित की गई हैं जो पूर्ण रूप से न्यायोचित व सही है। अपीलान्ट के द्वारा राजकीय भूमि लगभग 55 बीघा भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा/काश्त किया गया है जो कानूनन सही नहीं है। ऐसे में हमारा विनम्र मत है कि उपरोक्त सभी तथ्यों पर गहनता से मनन करने के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

10. अतः उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अति0 जिला कलेक्टर जैसलमेर द्वारा पारित निर्णय 29.01.2020 तथा तहसीलदार, जैसलमेर द्वारा पारित निर्णय 22.02.2019 को यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 24 अगस्त, 2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 समित शर्मा)
डिवीजनल कमिश्नर,
जोधपुर

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर